137

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

।। <u>अधिसूचना</u> ।।

सं0-15/सं0सं0-18-04/2005का0 ...723.../ पटना-15, दिनांक- 23-3-06

सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों के संयुक्त संवर्ग अधिनियम, 1989 (बिहार अधिनियम सं0-09/1989) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल एतद् द्वारा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों की संयुक्त संवर्ग नियमावली, 1992 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

<u>संशोधन</u>

1. उक्त नियमावली के नियम- 14 (2) (ग) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा - '' परन्तु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र/संकल्प के प्रावधानों के अधीन सहायक के पद पर नियुक्त मेधावी खिलाड़ियों की वरीयता, सहायक प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त सहायकों के सदृश, उनकी नियुक्ति की तिथि से परीक्ष्यमान घोषित कर विनिश्चित की जाएगी । विभिन्न विभागों द्वारा नियुक्त मेधावी खिलाड़ियों की वरीयता उस वर्ष में पहले ही प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित एवं सीधे नियुक्त सहायकों के ठीक नीचे नियत की जाएगी । इस का लाभ पूर्व में नियुक्त मेधावी खिलाड़ियों को भूतलक्षी प्रभाव से देय होगा ।''
2. यह तुरत प्रवृत्त होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

23/3/06

(राजवंश मणि सिंह)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 15/सं0सं0-18-04/2005का0 ...723.../ पटना-15, दिनांक- 23-3-06

प्रतिलिपिः- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुल्जारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ । अनुरोध है कि इसकी 500 प्रतियाँ कार्मिक एवं प्र0 सु0 विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

23/3/06

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 15/सं0सं0-18-04/2005का0 ...723.../ पटना-15, दिनांक- 23-3-06

प्रतिलिपिः- राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा/ सचिव, बिहार विधान परिषद/ महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग / सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23/3/06

सरकार के उप सचिव